

प्रेस नोट

11.05.2021

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.05.2021 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नवापुरा के पास से मु0अ0सं0 39/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त कमलेश चौहान पुत्र लल्लन चौहान निवासी नवापुरा अदरी थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 11.05.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुवन पुलिस द्वारा इब्राहिमाबाद मोड़ के पास से मु0अ0सं0 199/21 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त रितेश यादव उर्फ सोनी पुत्र अशोक यादव निवासी भगवानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा बढुआ गोदाम के पास से मु0अ0सं0 807/20 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त शशिकान्त यादव पुत्र हरिदन यादव निवासी पटकनिया थाना सरायलखंसी तथा मु0अ0सं0 516/17 धारा 420,467,468,471,360,120बी भादवि0 व 60(62) आबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त राजू मौर्या पुत्र भानू मौर्या निवासी पलिया थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत पंचायत चुनाव मतदान के दिन भिखारीपुर बुथ पर बवाल करने, मतदान कर्मियों के उपर हमला बोल कर मारपीट करने की कोशिश व बैलट पेपर बाक्स लूटने की कोशिश करने

मामलेंमें वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 11.05.2021 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नदवा सराय मोड़ से थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 29.04.2021 को पंचायत चुनाव मतदान के दिन जूनियर हाइस्कूल भीखारीपुर थाना घोसी बुथ पर बवाल कर मतदान कर्मियों से मारपीट व बैलट पेपर बाक्स लूटने की कोशिश करने मामलें में पंजीकृत मु0अ0सं0 251/21 धारा 147,148,149,332,333,336,353,504,506,427,307,392,411 भादवि0, 7 सीएलए एक्ट, 135 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम मामलें में वांछित अभियुक्त सुनिल यादव पुत्र स्व0 फूलबदन यादव निवासी ताजपुर भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।